

प्रेषक,

शम्भू नाथ,  
उप सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०  
(अयोध्या-फैजाबाद, मुरादाबाद,  
मेरठ, हापुड़-पिलखुआ,  
बुलन्दशहर-खुर्जा, मथुरा-  
वृन्दावन, कानपुर, बरेली,  
रायबरेली, वाराणसी, अलीगढ़  
विकास प्राधिकरणों को छोड़ते  
हुए)

2. अध्यक्ष,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास  
प्राधिकरण, उ०प्र०।  
(चित्रकूट को छोड़कर)

3. जिलाधिकारी /

नियंत्रक प्राधिकारी,  
समस्त विनियमित  
क्षेत्र, उ०प्र०

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2010

विषय: मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं०-(एस)  
8519/2006 यूनियन ऑफ इण्डिया वनाम् गुजरात राज्य एवं अन्य में  
पारित निर्णय दिनांक 29.09.09, 7.12.2009, 4.2.2010 तथा 16.2.2010  
का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या:1638/8-3-10-432  
रिट/09, दिनांक: 03.05.10 एवं तत्सम्बंधी अन्तिम अनुस्मारक पत्र दिनांक 30.7.  
2010 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्रों द्वारा वांछित प्रश्नगत मामले में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा  
समय-समय पारित आदेशों के अनुपालन में नोडल अधिकारी के नाम, पदनाम  
एवं दूरभाष नम्बर की सूचना आप द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने

- 2 -

निकाय के नामित नोडल अधिकारी के नाम, पदनाम एवं दूरभाष नम्बर की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अपेक्षित सूचना यथाशीघ्र गृह विभाग को उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय,

( शम्भू नाथ )  
उप सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, सचिव गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र० शासन।
3. उक्त की प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया बेवसाइट पर लोड कर समस्त सम्बन्धितों को उपलब्ध/सूचित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
( शम्भू नाथ )  
उप सचिव।

प्रेषक,

शम्भू नाथ,  
उप सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास  
परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०  
(मुरादाबाद, मेरठ, आगरा,  
हापुड-पिलखुआ व बुलन्दशहर-  
खुर्जा, अलीगढ़ एवं कानपुर  
प्राधिकरण को छोड़ते हुए)
3. जिलाधिकारी /  
नियंत्रक प्राधिकारी,  
समस्त विनियमित  
क्षेत्र, उ०प्र०
4. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास  
प्राधिकरण, उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2010

विषय: मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं०-(एस)  
8519/2006 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम् गुजरात राज्य एवं अन्य में  
पारित निर्णय दिनांक 29.09.09, 7.12.2009, 4.2.2010 तथा 16.2.2010  
का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या:1638/8-3-10-432  
रिट/09, दिनांक: 03.05.10 एवं तत्सम्बंधी अन्तिम अनुस्मारक पत्र दिनांक  
30.7.2010 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्रों द्वारा प्रश्नगत मामले में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा  
समय-समय पारित आदेशों के अनुपालन में सार्वजनिक गलियों/मार्गों,  
सार्वजनिक पार्को अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मजिस्ट  
अथवा गुरुद्वारा आदि के नाम पर हुए धार्मिक प्रकृति निर्माणों के चिन्हांकन में  
स्थानीय स्तर पर जन सामान्य से फीडबैक प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रारूप पर  
सूचना सी.डी.सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था किन्तु उक्त  
वांछित सूचना अभी तक आप द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

-2

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर शासन को सी.डी. सहित शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अपेक्षित सूचना यथाशीघ्र गृह विभाग को उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय,

( शम्भू नाथ )  
उप सचिव।

संख्या एवं तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, सचिव गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र० शासन।
3. उक्त की प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया बेवसाइट पर लोड कर समस्त सम्बन्धितों को उपलब्ध/सूचित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
( शम्भू नाथ )  
उप सचिव।

प्रेषक,

शम्भू नाथ,  
उप सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास  
परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०  
(मुरादाबाद, मेरठ, आगरा,  
हापुड़-पिलखुआ व बुलन्दशहर-  
खुर्जा, अलीगढ़ एवं कानपुर  
प्राधिकरण को छोड़ते हुए)
3. जिलाधिकारी/  
नियंत्रक प्राधिकारी,  
समस्त विनियमित  
क्षेत्र, उ०प्र०
4. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास  
प्राधिकरण, उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2010

विषय: मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं०-(एस)  
8519/2006 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम् गुजरात राज्य एवं अन्य में  
पारित निर्णय दिनांक 29.09.09, 7.12.2009, 4.2.2010 तथा 16.2.2010  
का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-1638/8-3-10-432  
रिट/09, दिनांक: 03.05.10 एवं तत्सम्बंधी अन्तिम अनुस्मारक पत्र दिनांक  
30.7.2010 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्रों द्वारा प्रश्नगत मामले में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा  
समय-समय पारित आदेशों के अनुपालन में सार्वजनिक गलियों/मार्गों,  
सार्वजनिक पार्को अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मजिस्द  
अथवा गुरुद्वारा आदि के नाम पर हुए धार्मिक प्रकृति निर्माणों के चिन्हांकन में  
स्थानीय स्तर पर जन सामान्य से फीडबैक प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रारूप पर  
सूचना सी.डी.सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था किन्तु उक्त  
वांछित सूचना अभी तक आप द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

-2

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर शासन को सी.डी. सहित शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अपेक्षित सूचना यथाशीघ्र गृह विभाग को उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय,

( शम्भू नाथ )  
उप सचिव।

संख्या एवं तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, सचिव गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र० शासन।
3. उक्त की प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया वेबसाइट पर लोड कर समस्त सम्बन्धितों को उपलब्ध/सूचित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
  
( शम्भू नाथ )  
उप सचिव।